आवश्यक दस्तावेज़

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

- मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)।
- इन्टरमीडिएट या समकक्ष उतीर्णता का प्रमाण-पत्र।
- जाति प्रमाण-पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो)।
- आवेदक का Live फोटोग्राफ।
- आवेदक का हस्ताक्षर।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
आवेदन व चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन
आवेदन उद्यमी पोर्टल **udyami.bihar.gov.in** पर किया जाएगा।

प्रारंभिक चयन
प्राप्त आवेदनों में से जिलावार निर्धारित संख्या के अनुसार कंप्यूटर से रैंडम चयन होगा।

स्क्रूटनी (जांच)
चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर जांच की जाएगी।

अंतिम चयन
दस्तावेजों की जांच के बाद योग्य आवेदकों का अंतिम चयन होगा।

नोट

- आवेदक को अपने जिले में ही परियोजना स्थापित करनी होगी, अन्यथा आवेदन रद्द हो जाएगा।
- परियोजना का चयन ध्यानपूर्वक करें, बाद में बदलाव संभव नहीं होगा।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरित की गई कुल राशि

वित्तीय वर्ष
2021-22
कुल वितरित राशि
₹3384535894

वित्तीय वर्ष
2022-23
कुल वितरित राशि
₹64050000

वित्तीय वर्ष
2023-24
कुल वितरित राशि
₹875425000

वित्तीय वर्ष
2024-25
कुल वितरित राशि
₹268800000

पिछले 4 वित्तीय वर्षों में वितरित की गई राशि (प्रतिशत में)

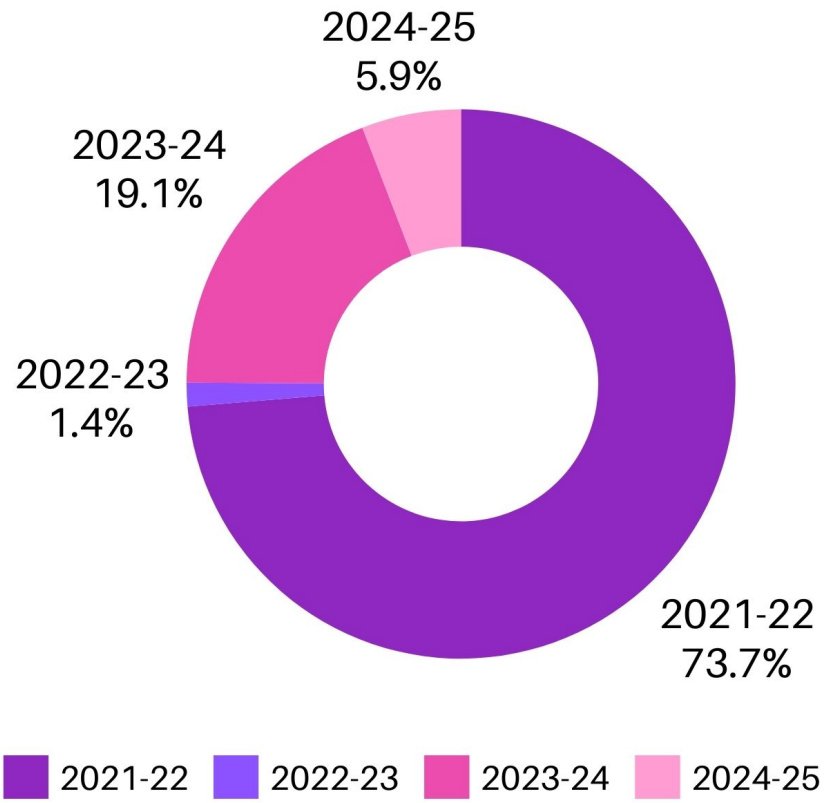

₹10 लाख सहायता राशि

योजना की शुरुआत व उद्देश्य

- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 13 मई 2021 से लागू की गई है।
- इसका मुख्य उद्देश्य SC/ST और अन्य वंचित समुदायों को स्वरोजगार व उद्योग स्थापित करने में मदद करना है।

+ **50%**

योजना के तहत 50% राशि (अधिकतम ₹5 लाख) अनुदान/ सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

+ **50%**

शेष 50% (अधिकतम ₹5 लाख) बिना ब्याज का ऋण दिया जाता है।

+ **84 महीने**

ऋण चुकाने की अवधि 84 महीने है और इसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।

पात्रता व चयन प्रक्रिया

- आयु सीमा: 18-50 वर्ष।
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10+2, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष।
- चयन प्रक्रिया: कंप्यूटरीकृत रैंडमाइज़ेशन (Computerized Random Selection) के माध्यम से।

प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन

- चयनित लाभार्थियों को 6 दिनों का गैर-आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- योजना को जिला स्तर पर लक्ष्यों के आधार पर लागू किया जाएगा।